रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1975/आषाढ़ 5, 1897

No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1975/ASADHA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June 1975

G.S.R. 353(E).—The following Proclamation of Emergency by the President of India, dated the 25th June, 1975, is published for general information :—

'PROCLAMATION OF EMERGENCY'

In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by this Proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbance.

NEW DELHI;
The 25th June, 1975.

F. A. AHMED,
President.

[No. II/16013/1/75-S&P(D.II)]

NEW DELHI;
The 26th June, 1975.

S. L. KHURANA, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1975

सा० का० नि० 353 (अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई 25 जून, 1975 की आपातकालीन स्थिति की निम्नलिखित उद्घोषणा को आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा"

संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, फखरूद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति, इस उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा करता हूं कि इस समय गम्भीर आपातकालीन स्थिति है जिसके कारण आन्तरिक उपद्रव से भारत की सुरक्षा को खतरा है ।

नई दिल्ली;
25 जून, 1975.

फखरूद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली ;
26 जून, 1975.

[सं० II/16013/1/75-एस एन्ड पी (डी-II)]
एस० एल० खुराना, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975